कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय,
छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट (म.प्र.)
टॉउन हॉल परिसर, टॉउन हॉल छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

Email-Id Chhindwara@mptownplan.gov.in

Phone No. 07162-247755

क्रमांक................नि0आ0 / नग्रानि / 2020

छिन्दवाड़ा दिनांक / /

प्रति,

कालोनाईजर एवं डेव्लपर्स
श्री मोहन प्रसाद परोहा पिता श्री नरोत्तम प्रसाद परोहा
भूमि स्वामी श्री ओमप्रकाश नंदनवार पिता श्री मनीराम नंदनवार एवं अन्य
निवासी– सिवनी
जिला– सिवनी (म0प्र0)

विषयः ग्राम– ज्यारत, प.ह.नं. 105, खसरा क्रमांक 17, 18/1/1/1, 18/1/1/2 का रकबा क्रमशः 1.15, 0.94, 0.03 हे0 कुल रकबा 2.12 हे0 (21200.00 वर्गमीटर) भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु विकास अनुज्ञा बाबत्।

संदर्भः आपका धारा 29 के तहत आवेदन पत्र प्राप्त दिनांक 17.08.2020.

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भ में कालोनाईजर एवं डेव्लपर्स श्री मोहन प्रसाद परोहा पिता श्री नरोत्तम प्रसाद परोहा भूमि स्वामी श्री ओमप्रकाश नंदनवार पिता श्री मनीराम नंदनवार एवं अन्य निवासी– सिवनी, जिला– सिवनी (म0प्र0) द्वारा ग्राम– ज्यारत, प.ह.नं. 105, खसरा क्रमांक 17, 18/1/1/1, 18/1/1/2 का रकबा क्रमशः 1.15, 0.94, 0.03 हे0 कुल रकबा 2.12 हे0 (21200.00 वर्गमीटर) भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास निर्माण हेतु अभिन्यास को क्रियान्वित करने हेतु भूमि स्वामी एवं कालोनाईजर के मध्य 6डी के अंतर्गत किये गये अनुबंध अनुसार म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27 (1) एवं 2 (5) तथा सिवनी विकास योजना 2021 में भूमि का भू उपयोग प्रस्तावित आवासीय निर्दिष्ट होने के कारण आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार क्षेत्र पर विकास अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम सक्षम प्राधिकारी तथा स्थानिय संस्था से अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होंगा।
   1. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959
   2. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961
   3. नजूल विभाग सिवनी
   4. म0प्र0 नगर पालिका कालोनाईजर्स का (रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1998

   अन्य किसी अधिनियम/नियम के अंतर्गत या कोई अनुमति लेना अनिवार्य हो तो आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
2. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत शासन द्वारा बनाये गये म0प्र0 नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1998 के नियम 3 के अनुसार संस्था का कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण सहित अन्य सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही कालोनी विकास कार्य को क्रियान्वित करने संबंधी विकास अनुमति प्रदान की जायेगी।
3. कालोनाईजर एवं डेव्लपर्स श्री मोहन प्रसाद परोहा पिता श्री नरोत्तम प्रसाद परोहा एवं भूमि स्वामी श्री ओमप्रकाश नंदनवार पिता श्री मनीराम नंदनवार एवं अन्य निवासी– सिवनी, जिला– सिवनी (म0प्र0) के मध्य 6डी के अंतर्गत किये गये अनुबंध की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कमी अथवा कार्यवाही शेष रहने की दशा में इसे पूर्ण करने की जवाबदारी भूमि स्वामी एवं कालोनाईजर लाइसेंसी की होगी।
4. आपके संदर्भित ज्ञापन अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1998 के नियम

10 के अन्तर्गत चयनित विकल्प के अनुसार समाज के निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग के

Scanned with CamScanner

24 भूकपरोधी प्रकिया का पालन करना आवश्यक होगा एवं स्थल पर स्थित जल स्त्रोत का संरक्षण संस्था को स्वयं करना होगा।

25 शासन द्वारा समय–समय पर लागू होने वाले नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

26 अनुमोदित मानचित्र में विपरीत किये गये विकास कार्य, गलत या असत्य जानकारी असत्य पाये जाने या भू–सीमा विवाद उत्पन्न होने की दशा में, किसी भी सक्षम न्यायालय में विषयांकित भूमि से स्वामित्व से संबंधित कोई प्रकरण प्रचलन में होने व उसकी या किसी भी प्रकार की जानकारी इस कार्यालय से छिपाये जाने पर तथा पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होना सिद्व पाये जाने पर यह विकास अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम–2012 के नियम–25 के प्रावधानों के तहत् प्रतिसंहरित (रिव्होक) कर दी जावेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की मानी जावेगी।

संलग्नः मानचित्र 1 प्रति

(ए0 के0 जैन)
प्र0 उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला– छिन्दवाड़ा

पृ0क्रमांक...1144.नि0आ0 / नग्रानि / 2020 **छिन्दवाड़ा दिनांक 27/07/2020**

प्रतिलिपिः

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तह0 व जिला सिवनी, को मानचित्र की एक प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला सिवनी की ओर मानचित्र की एक प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप पंजीयक, पंजीयक कार्यालय सिवनी को मानचित्र की एक प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. तहसीलदार, तहसील कार्यालय ,जिला सिवनी को मानचित्र की एक प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।
5. सहायक यंत्री, म0प्र0वि0 मण्डल लि0 तह0 एवं जिला सिवनी को मानचित्र की एक प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।
6. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदुषण निवारण मण्डल जबलपुर को मानचित्र की एक प्रति के साथ सूचनार्थ।

(ए0 के0 जैन)
प्र0 उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला– छिन्दवाड़ा

Scanned with CamScanner